बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001

(पंजीयन सं. – 633/2003)

Websitie : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com,

कार्य. अध्यक्ष
* सुरेश पासवान
मो.– 9431468605

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो. – 9431091417, Email : shushilkumar09@gmail.com

संयुक्त सचिव :
* राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष :
* चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष :
* विनोद आनन्द

दिनांक 24-1-2017

पत्रांक 02

सेवा में,

सचिव,
सातवाँ वेतन आयोग,
पटना।

विषय :– सातवें वेतन आयोग के समझ संघ की ओर से सुझाव।

महाशय,

उपरोक्त विषयक ज्ञातव्य है कि बिहार सरकार का राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों के साथ केन्द्र के अनुरूप वेतन व अन्य सुविधा दिये जाने का समझौता पूर्व में ही हो चुका है। अतः संघ आयोग से अपेक्षा करता है कि केन्द्र के अनुरूप सातवाँ वेतन दिनांक– 01.01.2016 से लागू करने की अनुशंसा सरकार से की जाय।

2. सातवें वेतन को लागू करने से पूर्व छठा वेतनमान को लागू करने के क्रम में कुछ कार्रवाई अभी भी लम्बित रह गई है। उदाहरण स्वरूपः–

(i) Bunching का लाभ नहीं दिया गया जबकि पंचम वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त प्राप्त हो रहे वेतन के दो या दो अधिक बैंच के पदाधिकारी का छठे वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त वेतनमान एक हो जाने की स्थिति में यह लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

(ii) छठा पुनरीक्षण वेतनमान लागू होने के क्रम में बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों की प्रथम नियुक्ति PB-2 GP-5400 एवं चार वर्ष की सेवा पूरी होने पर PB-3 GP-5400 के परिवर्त्तन की अनुशंसा को सरकार द्वारा अनुमान्य किया गया था, परन्तु वित्त विभाग द्वारा इस परिवर्त्तन का प्रथम Modified वित्तिय उन्नयन परिभाषित कर दिया गया है, जो रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधान के प्रतिकूल है।

(iii) जिन बैंच के पदाधिकारी की नियुक्ति वर्ष 2006 के पूर्व हुई है, उदाहरण स्वरूप 41वीं एवं 42वीं बैंच के पदाधिकारी की नियुक्ति का वर्ष क्रमशः 1999 एवं 2000 में हुई है, इन बैंच के पदाधिकारी पर भी उपरोक्त कंडिका (ii) की व्याख्या के अनुरूप रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लाभ से वंचित किया गया है जो नियमानुकुल नहीं है, क्योंकि कोई अहितकारी प्रावधान का भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हो सकता है।

भवदीय से संघ विनम्र अनुरोध करता है कि उपर्युक्त तीनों वर्णित बिन्दुओं पर भी नियमानुकुल कार्रवाई की जाय।

(सुशील कुमार)
महासचिव